

पत्र संख्या:-3/वन क्षेत्र पदा0 (स्था0)-28/2018 3948 व0 प0

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

विजय कुमार भगत,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।



राँची, दिनांक 09/12/2020

विषय:-

संविदा के आधार पर वन क्षेत्र पदाधिकारी के पद नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मियों की संविदा अवधि में विस्तार के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक-2039 दि0-14.10.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग में कहना है कि वन क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मियों में से आपके प्रसंगाधीन पत्र द्वारा अनुशंसित 05 (पाँच) कर्मियों की संविदा अवधि एक वर्ष के लिए विस्तारित करने के प्रस्ताव पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। जिसका ब्यौरा निम्नवत् है:-

1. वन क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर संविदा पर नियुक्त पूर्व (सेवानिवृत्त) कर्मी जिनके द्वारा योगदान नहीं दिया गया; बन्ध पत्र हस्ताक्षरित नहीं किया गया एवं योगदान देकर कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए तथा कार्य नहीं किया गया; योगदान स्वीकृत नहीं हुआ एवं कार्य नहीं किया गया, ऐसे मामलों में Specific कारण सम्बन्धित के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए संबंधितों को अलग-अलग पत्रों/आदेश द्वारा सूचित करने की कृपा की जाय कि उनका कोई दावा उक्त अवधि में विचारणीय नहीं रहा है। भविष्य में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, राँची
कर्मिक (राजपत्रित), झारखण्ड, राँची
प्राप्तांक 4289
दिनांक 18/12/2020

2. ऐसे कर्मी जिनका कार्य संविदा अवधि विस्तार योग्य नहीं है, संविदा अवधि की समाप्ति की तिथि से उनकी संविदा के आधार पर सेवा स्वतः समाप्त हो गई है। अलग-अलग पत्र/आदेश से सूचना दी जाय।

पुष्पिनी
29-12-2020

①

3. कड़िका-1 तथा 2 की सूचना whatsapp/email निबंधित डाक, तीनों साधनों से संबंधित कर्मियों को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
4. सभी सूचना विभागीय पोर्टल पर upload की जाय।
5. उक्त पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(विजय कुमार भगत)
सरकार के अवर सचिव

कार्यालय:- मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (राजपत्रित), झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक - 19MESR-10/2018- 1229

राँची, दिनांक 21/12/2020

प्रतिलिपि :- वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, दुमका, देवघर/चाईबासा/जमशेदपुर/हजारीबाग/राँची/वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, राँची/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमण्डल/गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल/सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा/पोडाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा/जमशेदपुर वन प्रमण्डल/रामगढ़ वन प्रमण्डल/मेदिनीनगर वन प्रमण्डल/कोडरमा वन प्रमण्डल/चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल/चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल/हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल/सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार/राँची/चाईबासा/उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल/उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक,
कार्मिक (राजपत्रित), झारखण्ड, राँची